

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

उप रसायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक
संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक -04-12-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹ 11,72,220/- (ग्यारह लाख बहत्तर हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-23(7)ब दिनांक-14.06.18 एवं 51(7)ब दिनांक-11.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मदों एवं अन्य मदों में कुल ₹ 11,72,220/- (ग्यारह लाख बहत्तर हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबधित राशि से की जायगी ।

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/ उप रसायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना/संबंधित सिविल सर्जन तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002, 379(9) दिनांक-16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।


सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

10. यह मात्र आवंटन है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापांक : 63(7) ष

पटना, दिनांक : 04-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड 20-2210061020001

विवरण

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13-01)	विधि प्रभार (13-05)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उप निदेशक सह लोक विरलेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	69/5.11.18
2	सिविल सर्जन, गया	20000	3180	29000	2400	1120	55700	0	0	55700	3362/29.10.18
3	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	25000	5000	36250	3000	1750	71000	5000	0	76000	2252/26.10.18
4	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	25000	5000	36250	3000	1750	71000	7000	0	78000	2117/25.10.18
5	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	50000	10000	70000	6000	3500	139500	0	3000	142500	3421/26.10.18
6	सिविल सर्जन, दरभंगा	24000	4800	34800	2880	1680	68160	0	0	68160	2015/22.10.18
7	सिविल सर्जन, रोहतास	50000	10000	72500	6000	3500	142000	0	0	142000	2646/25.10.18
8	सिविल सर्जन, सारण, छपरा	50000	10000	72500	6000	3500	142000	5000	10000	157000	3040/23.10.18
9	सिविल सर्जन, भागलपुर	50000	10000	72500	6000	4000	142500	0	0	142500	3901/24.10.18
10	सिविल सर्जन, मधुबनी	50000	10000	72500	6000	4000	142500	5000	0	147500	2723/5.11.18
11	सिविल सर्जन, बेगूसराय	50000	10000	72500	6360	4000	142860	10000	0	152860	2172/1.11.18
	कुल योग:-	394000	77980	568800	47640	28800	1117220	42000	13000	1172220	

(ग्यारह लाख बहत्तर हजार दो सौ बीस) रू० मात्र

63(379)
04-12-18

सरकार के विशेष सचिव

(Signature)

उपबंध की स्थिति

खाद्य नियंत्रक स्थापना विपन्न कोड 20-2210061020001

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	18000000	17606000	394000	18000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	2000000	1922020	77980	2000000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	5691000	5122200	568800	5691000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	580000	395000	0	395000	185000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	984000	936360	47640	984000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3550000	3521200	28800	3550000	0
	योग 20-2210.06.102.0001.01 वेतन	30805000	29502780	1117220	30620000	185000
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	500000	0	0	0	500000
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	300000	258000	42000	300000	0
9	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	1100000	800000	0	800000	300000
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	500000	134000	13000	147000	353000
11	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	10000	10000	0	10000	0
12	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	646000	0	0	0	646000
13	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	50000	50000	0	50000	0
14	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	50000	0	50000	0
15	सविदा सेवारत (0001-28-02)	300000	100000	0	100000	200000
16	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	800000	800000	0	800000	0
	कुल योग:-	35061000	31704780	1172220	32877000	2184000

63(7)अ

04-12-18

सरकार के विशेष सचिव